तत्काल / महत्वपूर्ण

संख्याः–727/अड़तीस–9–2013–500(21)/2012

प्रेषक,

शिव कुमार पाठक
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त
ग्राम्य विकास
उ0प्र0 लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग–9

लखनऊ दिनांक 28 जून, 2013

विषयः–विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना के अन्तर्गत 15वीं विधान सभा के कार्यकाल से सम्बन्धित निर्माणाधीन कार्यों से सम्बन्धित धनराशि को छोड़कर भिन्न अवशेष धनराशि जो परिसीमन से आच्छादित विधान सभा क्षेत्रों से सम्बन्धित है, के व्यय के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1156/कार्यक्रम, दिनांक–04.6.2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के प्रस्तर–3.9(क) में किये गये प्राविधानों के दृष्टिगत अवशेष धनराशि को व्यय किये जाने के सम्बन्ध में परिसीमित विधान सभा क्षेत्रों की निर्माणाधीन कार्यों से सम्बन्धित अवशेष धनराशि को छोड़कर भिन्न अवशेष धनराशि जो परिसीमन से आच्छादित विधान सभा क्षेत्रों से सम्बन्धित है, का व्यय विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों में संशोधन विषयक शासनादेश दिनांक–29.11.2012 द्वारा किये गये अन्य संशोधनों के साथ ही मार्गदर्शी सिद्धान्तों के प्रस्तर–3.9 के साथ प्रस्तर–3.9(क) के रूप में किये गये प्राविधानों के दृष्टिगत शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि परिसीमित विधान सभा क्षेत्रों की निर्माणाधीन कार्यों से सम्बन्धित अवशेष धनराशि को छोड़कर भिन्न अवशेष धनराशि को सम्बन्धित जनपदों से ट्रेजरी चेक/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से एकत्रित करके जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, लखनऊ के पी0एल0ए0 खाते में जमा कराकर उक्त धनराशि को आच्छादित विधान सभा क्षेत्रों में बराबर–बराबर आवंटित/अवमुक्त कर दी जाय और इस कार्य का अनुश्रवण अपर आयुक्त लेखा, ग्राम्य विकास द्वारा किया जाय।

2– उक्त के सम्बन्ध में अनुरोध है कि कृपया शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही कराते हुये कृत कार्यवाही सम्बन्धी आख्या शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(शिव कुमार पाठक)
अनु सचिव।

GO-2

संख्या— (1)/अड़तीस—9—2013, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2— महालेखाकार, (लेखा एवं परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3— अपर आयुक्त लेखा, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4— समस्त मुख्य विकास अधिकारी उ0प्र0 द्वारा आयुक्त, ग्राम्य विकास।
5— समस्त परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उ0प्र0 द्वारा आयुक्त, ग्राम्य विकास।
6— समस्त कोषाधिकारी, उ0प्र0 द्वारा आयुक्त, ग्राम्य विकास।
7— गार्डबुक।

आज्ञा से,

(शिव कुमार पाठक)
अनु सचिव।